रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2005/चैत्र 7, 1927

No. 309] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2005/CHAITRA 7, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2005

सं. 24/2005-(एन.टी.)-सीमा शुल्क

का.आ. 425(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2005-(एन.टी.)-सीमा शुल्क, दिनांक 23 फरवरी, 2005 [का.आ. 247(अ) दिनांक 23 फरवरी, 2005] को अधिक्रांत करते हुए निर्यात माल के संबंध में बोर्ड, एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, यह अवधारित करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर 1 अप्रैल, 2005 से वह दर होगी जो उसके स्तम्भ (3) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित हैं :—

अनुसूची-I

क्र. सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी करेंसी की एक इकाई की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रेलिया के डालर	33.70
2.	कनाडा के डालर	35.80
3.	डेनमार्क के क्रोनर	7.60
4.	यूरो	56.70
5.	हांगकांग के डालर	5.60
6.	नार्वे के क्रोनर	6.90
7.	पौंड स्टर्लिंग	81.70
8.	स्वीडन के क्रोनर	6.20
9.	स्विटज़रलैण्ड के फ्रैंक	36.50
10.	सिंगापुर के डालर	26.55
11.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	43.70

अनुसूची-II

क्र. सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी करेंसी की 100 इकाइयों की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1.	जापान के येन	41.10

[फा. सं. 468/7/2005-सीमा शुल्क-5]

एस.पी. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2005

No. 24/2005-(N.T.)—CUSTOMS

S.O. 425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 18/2005-NT-Customs, dated the 23rd February, 2005 [S.O. 247(E) dated the 23rd February, 2005], the Board hereby determines for the purposes of said section, relating to export goods, that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II appended hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from the 1st April, 2005, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of Foreign Currency equivalent to Indian rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Australian Dollar	33.70
2.	Canadian Dollar	35.80
3.	Danish Kroner	7.60
4.	EURO	56.70
5.	Hong Kong Dollar	5.60
6.	Norwegian Kroner	6.90
7.	Pound Sterling	81.70
8.	Swedish Kroner	6.20
9.	Swiss Franc	36.50
10.	Singapore Dollar	26.55
11.	US Dollar	43.70

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of Foreign Currency equivalent to Indian rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Japanese Yen	41.10

[F. No. 468/7/2005-Cus. V]

S.P. RAO, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.